सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण / वादीगण	बनाम	विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
गिरधरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत, निवासी केसरपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		गोमीदेवी पत्नी बलवन्तसिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212) मुकदमा नम्बर 29 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2022	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एंव विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 496/208 रकबा 2.7195 हैक्टेयर मौजा केसरपुरा तहसील शिव में अवस्थित है। उक्त विवादित अराजी के खातेदारी हिस्से राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है। प्रार्थी इसी हिस्सा मुजब अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। किन्तु वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी की जा रही है तथा प्रार्थी की फसल को नष्ट करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थी विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है। विप्रार्थीगण अजनबी क्रेता है तथा वादग्रस्त आराजी में बिना विभाजन प्रार्थी के कब्जा काश्त में प्रवेश कर प्रार्थी की खड़ी फसल को लेने में हस्तक्षेप कर उसे अपने हक हिस्से से बेदखल करने पर उतारू है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं हो पायेगी। समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में होनें से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में तथा विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी का बैचान, हस्तांतरण आदि नहीं करने तथा मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या (ख) उक्त वाद या कार्यवाही के संबंद्ध में कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के [illegible] उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या वि[illegible]खत[illegible] — तो न्यायालय अस्थायी [illegible] हमने प्रार्थीगण अ[illegible] पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली [illegible] कि विवादित आराजी पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्र[illegible] विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है तथा यदि उन्हे अपने कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

शिव (बाड़मेर)

भी प्रार्थी को होना संभावित है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा केसरपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 496/208 रकबा 2.7195 हैक्टेयर भूमि का बेचान, अन्य हस्तांतरण आदि नहीं करने तथा वर्तमान में खड़ी फसल को लेने में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने के आश्य की एवं मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आश्य का अस्थाई स्थगन आदेश विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 15.04.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

08.04.22 अधिवक्ता बृजमोहन कुमावत द्वारा विप्रार्थीनी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा व त्वरीत सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली तलब करने के निवेदन पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित।
विप्रार्थीनी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आइन्दा दिनांक 21.04.22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

21.04.22 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की अंतरिम स्थगन की बहस सुनी गई। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज पेश किये [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। प[illegible] के निर्णय हेतु आइन्दा दिनांक 27.4.22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/05/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी के वकील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उप०। प्रार्थी को रू-रू तीन बार पृथक-पृथक आवाज दिलाई गई बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थी का आवेदन अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner